विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2214 प्रश्नांशक प्रपत्र- सत्र - जुलाई 2019

म.प्र. सहकारी सोसाईटी अधिनियम, १९६० धारा ५७-सी

५७-सी/ग. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी.-(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा.

(२) राज्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली छानबीन समिति की अनुशंसा पर प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा-

(एक) मुख्य सचिव, जो समिति का चेयरपर्सन होगा;

(दो) प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग सदस्य के रूप में;

(तीन) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग सदस्य के सचिव के रूप में.

(३) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, जिसने राज्य सरकार के सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद पर कार्य किया है, प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(ख) प्राधिकारी के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस दिनांक से, जिस दिनांक को वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकारी का पद धारण नहीं करेगा.

(४) (क) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा.

(ख) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति कदाचरण या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा या निम्नलिखित आधार पर पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह व्यक्ति-

(एक) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो गया हो; या

(दो) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या

(तीन) अपनी पदावधि के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों से परे कोई ऐसा नियोजन स्वीकार करता है जिसके लिये उसे भुगतान प्राप्त होता हो;

(चार) सरकार की राय में, मस्तिष्क या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो गया हो; या

(पांच) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लेता है जिससे प्राधिकारी के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

(५) यदि मृत्यु, त्यागपत्र, नियुक्ति की पदावधि का अवसान या किसी अन्य कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्राधिकारी के पद में कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति, इस धारा के अधीन नियुक्त किये जाने के लिये अर्हित किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी.

(६) प्राधिकारी का मुख्यालय भोपाल में होगा.

(७) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(८) राज्य सरकार प्राधिकारी को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक हों.

[१][(९) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, संभागीय स्तर पर संयुक्त पंजीयक और जिला स्तर पर उपसहायक पंजीयक क्रमशः राज्य समन्वयक, संभागीय समन्वयक तथा जिला समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे और निर्वाचन का संचालन करने के लिए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाएं.]

आर. सी. [illegible]
सचिव
म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन
प्राधिकारी भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग